HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1350/2026

Pipyali @ Jafru S/o Mormal, Aged About 30 Years, R/o Baleta, Police Thana Malakheda District Alwar Rajasthan. (At Present Confined At District Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Porush Sharma with Mr. Shiv Prakash Dhanera Mr. Khemchand Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154/13 वन विभाग अपराध अन्तर्गत धारा 09, 27, 29, 31, 39, 50, 51 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 संशोधित 2022 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 09, 27, 29, 31, 39, 50, 51 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 संशोधित 2022 के अपराध का अभियोग है। उनका तर्क है कि जिस सहअभियुक्त से बंदूक बरामद हुई है, उसे जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त से प्रकरण में किसी प्रकार कोई बरामदगी नहीं की जानी है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को केवल शक के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 06.01.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व के जो चार आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, उनमें से एक में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है।

प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को मौके से पकड़ा गया है। उनका तर्क है कि अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा ही सांभर पर गोली चलाई गई थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त से छुरा बरामद हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त ही प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध पूर्व के चार आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 09, 27, 29, 31, 39, 50, 51 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 संशोधित 2022 के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसके द्वारा प्रतिबंधित जानवर हिरण (सांभर) का शिकार किया है और मारा है। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से छुरा बरामद होना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50(8) की उपधारा (घ) के अंतर्गत अपने कथन सहायक वन संरक्षण के समक्ष लेखबद्ध करवाए हैं, जिसमें स्वयं द्वारा नर सांभर को गोली मारना स्वीकार किया है और यह भी बताया है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सांभर को काटा है और उसके सिर व खाल को प्रार्थी–अभियुक्त ही नाले में अलग–अलग जगह पर छुपा कर आया है। साथ ही प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिल सांभर के मांस को खाली छह कट्टों में भार कर ले जाना भी स्वीकार किया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है और परिवाद (आरोप–पत्र) भी पेश नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के चार आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है एवं उसके द्वारा पूर्व में उक्त प्रकरणों में प्रदत्त जमानत की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /34